भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

ऊर्जा विभाग

भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2001

क्र. 1086-एफ. 3-20-13-98.—इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन एक्ट, 1998 (1998 का सं. 14) की धारा 19 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

भाग-एक

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषायें.—इस नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन एक्ट, 1998 (1998 का सं. 14);

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किए गए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का अध्यक्ष;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश की सरकार;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ङ) "सदस्य" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित किए गए मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य;

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त है, किन्तु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन एक्ट 1998 (1998 का सं. 14) में उनके लिए दिया गया है.

3. अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन तथा भत्ते.—(1) अध्यक्ष रुपये 26,000 (नियत) वेतन प्रतिमाह प्राप्त करेगा और सदस्य, वेतनमान रुपये 24050—650—26000 प्रतिमाह में वेतन प्राप्त करेंगे :

परन्तु, किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है और जो पेंशन और/या उपदान या अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के तौर पर कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करता है या जिसने ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त की है या जो प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके वेतन में से सेवा उपदान, यदि कोई हो, के समतुल्य पेंशन की कुल रकम को घटा दिया जाएगा, किन्तु इसमें उसके द्वारा निकाले गये या निकाले जाने वाले सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन सम्मिलित नहीं है.

(2) अध्यक्ष या सदस्य, ऐसा मंहगाई भत्ता प्राप्त करेंगे जो क्रमशः उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में के तत्स्थानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुज्ञेय है.

(3) अध्यक्ष, ऐसा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता तथा अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है. सदस्य ऐसे नगर प्रतिकरात्मक भत्ते के हकदार होंगे जो राज्य में के तत्स्थानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुज्ञेय है.

4. निवास.—(1) अध्यक्ष, ऐसा किरायामुक्त तथा सुसज्जित निवास, जल तथा विद्युत् सुविधाओं का हकदार होगा, जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुज्ञेय है. सदस्य किराये के आधार पर ऐसे निवास के लिए हकदार होंगे, जैसा कि प्रमुख सचिवों को अनुज्ञेय किया जाए और उनके द्वारा किराया, ऐसे किराये के आधार पर देय होगा, जैसा कि राज्य के प्रमुख सचिवों द्वारा देय है.

(2) यदि अध्यक्ष या सदस्य के लिए शासकीय निवास स्थान की व्यवस्था नहीं की जाती है या वह शासकीय निवास स्थान के उपयोग की सुविधा का स्वयं उपभोग नहीं करता है तथा अपने स्वयं के मकान में निवास करता है तो उसे ऐसा मकान किराया भत्ता का भुगतान किया जा सकेगा जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या राज्य में के तत्स्थानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमशः अनुज्ञेय है.

5. वाहन की सुविधा :—(1) अध्यक्ष और सदस्यों के लिए पृथक् रूप से स्टॉफ कार और चालक (ड्राइवर) की व्यवस्था की जाएगी.

(2) अध्यक्ष, उनकी कार के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू सेवा शर्तों के अनुसार 200 लीटर पेट्रोल का हकदार होगा. सदस्य उनकी कार के लिए स्थानीय कर्तव्य (ड्यूटी) के प्रयोजन के लिए 40 लीटर पेट्रोल के हकदार होंगे.

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य प्राइवेट प्रयोजन के लिए उन नियमों के अनुसार शासकीय वाहन का उपयोग करने के हकदार होंगे, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में के तत्स्थानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमश: लागू है.

6. यात्रा भत्ता.—(1) अध्यक्ष, राज्य के भीतर या बाहर दौरे पर रहते समय या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत आयोग (कमीशन) में पदग्रहण के लिए की गई यात्रा या आयोग (कमीशन) में उसकी कार्य अवधि के अवसान पर उसका गृह नगर को जाना आता है) यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक चीजवस्त के परिवहन और उसी के समान अन्य बातों का हकदार उन्हीं मान (स्केल) तथा उन्हीं दरों पर होगा, जैसा कि हाई कोर्ट जजेस (ट्रेवलिंग अलाउन्स) रूल्स 1956 में विहित है.

(2) सदस्य, राज्य के भीतर या बाहर दौरे पर रहते समय या स्थानांतरण पर (जिसके अंतर्गत आयोग में पदग्रहण के लिए की गई यात्रा या आयोग में उसकी कार्य अवधि के अवसान पर उसका गृह नगर को जाना आता है), यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वैयक्तिक चीजवस्तों के परिवहन और उसी के समान अन्य बातों के हकदार होंगे, जैसा कि राज्य में के तत्स्थानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अनुज्ञेय है.

7. अवकाश यात्रा रियायत.—अध्यक्ष और सदस्य, अवकाश यात्रा रियायत के लिए वैसी ही दरों पर, वैसे ही मान (स्केल) और वैसी ही शर्तों पर हकदार होंगे, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में पदस्थ तत्स्थानी श्रेणी (ग्रेड) के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमश: लागू है.

8. अवकाश.—(1) अध्यक्ष एवं सदस्य, सेवा के पूर्ण किए गए 6 मास के लिए 15 दिन की दर पर अर्जित अवकाश के हकदार होंगे. वे आकस्मिक अवकाश और अन्य अवकाश के भी हकदार होंगे, जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और राज्य में तत्स्थानी श्रेणी के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को क्रमश: अनुज्ञेय है.

(2) अध्यक्ष या सदस्य, आयोग में उसकी पदावधि की समाप्ति पर, उसके खाते में जमा अर्जित अवकाश के संबंध में अवकाश वेतन के समतुल्य नगद प्राप्त करने का हकदार होगा, परन्तु यह तब जबकि भुनाये गये अवकाश की मात्रा (क्वान्टम) 90 दिन से अधिक न हो.

(3) अध्यक्ष और सदस्य, उपनियम (2) के अधीन अवकाश वेतन पर भत्ता, उन्हीं दरों पर प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो कि आयोग में पदमुक्त होने की तारीख को प्रवृत्त दर पर अनुज्ञेय है;

परन्तु वह ऐसे अवकाश वेतन पर नगर प्रतिकरात्मक भत्ता या अन्य किसी भत्ते का हकदार नहीं होगा.

9. अवकाश मंजूरी प्राधिकारी — अध्यक्ष सदस्यों को अवकाश मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा. मध्यप्रदेश का राज्यपाल, अध्यक्ष को अवकाश मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा.

10. चिकित्सीय उपचार सुविधा.— अध्यक्ष और सदस्य, वैसे ही चिकित्सीय उपचार और अस्पताल संबंधी सुविधाओं के हकदार होंगे, जैसा कि शासन के तत्स्थानी वेतन स्तर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य को अनुज्ञेय है.

11. पेंशन.— आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य, उनके द्वारा आयोग में की गई सेवा के लिए कोई पेंशन तथा उपदान प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे.

12. भविष्य निधि.— अध्यक्ष या सदस्य, स्वयं के विकल्प पर भविष्य निधि में अभिदाय करने हेतु हकदार होंगे और उनके ऐसा विकल्प लेने की दशा में यह, मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम, 1955 के उपबंधों द्वारा शासित होगा.

13. सदस्यों द्वारा शपथ— (1) आयोग का अध्यक्ष, अपने पद का पदभार ग्रहण करने से पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

(2) आयोग का प्रत्येक सदस्य, अपने पद का पदभार ग्रहण करने से पूर्व, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में, आयोग के अध्यक्ष के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

(मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप)

(नियम 13 देखिए)

मैं .... , मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने पर ईश्वर के नाम पर सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से करूंगा और अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन भय या पक्षपात, अनुराग या दुर्भावना के बिना विधि के अनुसार करूंगा.

अध्यक्ष/सदस्य
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल.

भोपाल :
दिनांक : 2000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. चौधरी, सचिव.

Bhopal, the 19th February 2001

F- No.1086-3-20-13-98.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 57 read with sub-section (2) of Section 19 of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (No. 14 of 1998), the State Government hereby make the following rules relating the pay, allowances and conditions of service of the Chairman and Members of the Madhya Pardesh Electricity Regulatory Commission, namely:—

PART—I

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowance and other service conditions of the Chairman and Members) Rules, 2000.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the " Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise, requires;

(a) "Act means the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 (No. 14 of 1998);

(b) "Chairman" means the Chairman of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Established under sub-section (1) of Section 17 of the Act;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) "Member" means the Member of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission established under sub-section (1) of Section 17 of the Act;

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (No. 14 of 1998).

3. **Pay and Allowance of Chairman and Members.**—(1) The Chairman shall receive pay of Rs. 26,000- (fixed) per mensem and the members shall receive a pay in the scale of Rs. 24,050-650-26,000/- per mensem:

Provided that in the case of an appointment as Chairman or a Member, of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity if any but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.

(2) The Chairman or Members shall receive such Dearness Allowance as is admissible respectively to a High Court Judge and Officers of the Indian Administration Service of the corresponding grade in the State.

(3) The Chairman shall be entitled to receive city compensatory allowance and other allowances as are admissible to High Court Judge. The Members shall be entitled to City Compensatory Allowance as is admissible to the Officers of Indian Administration Service of the corresponding grade in the State.

4. **Accommodations.**—The Chairman shall be entitled to rent-free and furnish accommodation, water and electricity facilities as permissible to the High Court Judges under the provisions of High Court Judges (conditions of service) Act, 1954 and rules made therunder. The Members shall be entitled to accommodation as may be admissible to Principal Secretaries on rental basis and rent will be payable by them on the basis of rent payable by Principal Secretaries of the State.

(2) The Chairman or a Member is not provided with or does not avail himself of the use of official residence and resides in his own house, he may be paid house rent allowance as admissible respectively to a High Court Judge or to the Officers of the Indian Administrative Service of the corresponding grade in the State.

5. **Facility of conveyance.**—(1) The Chairman and the Members shall be separately provided with a staff car and a driver.

(2) The Chairman shall be entitled to 200 liters of petrol for his car as per service conditions applicable to High Court Judge. The Members shall be entitled to 60 liter of petrol for their cars for the purpose of local duty.

(3) The Chairman and Members shall be entitled to use Government vehicle for private purpose as per rules applicable respectively to the High Court Judge and officers of the Indian Administrative Services of the corresponding grade in the State.

6. **Travelling Allowance.**— (1) The Chairman while on tour inside or outside the State or on transfer (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance daily allowance, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are prescribed in the High Court Judges (Travelling Allowance) Rules, 1956.

(2) The members while on tour inside or outside the Sate or on transfer (including the journey undertaken to join the Commission or on the expiry of his term with the Commission to proceed to his home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, transportation of person effects and other similar matters as is admissible to the Officers of Indian Administrative Service of the corresponding grade in the State.

7. **Leave Travel Concession.**—The Chairman and Members shall be entitled to the leave travel concession at the same rates at the same scales and on the same conditions as per applicable to a High Court Judge and to the officers of the Indian Administrative Service of the corresponding grade posted in the State respectively.

8. Leave.—(1) The Chairman and the Members shall be entitled to earned leave at the rate of 15 days for every completed 6 months of service. They shall also be entitled to casual leave and other leaves as admissible respectively to the High Court Judge or to the officers of the Indian Administrative Service of the corresponding grade in the State.

(2) On the expiry of his term of office in the Commission, a Chairman or a Member shall be entitled to receive cash equivalent of leave salary in respect of the earned leave standing to his credit provided that the quantum of leaves encashed shall not exceed 90 days.

(3) The Chairman and the Members shall be entitled to received the dearness allowance on the leaves salary under sub-rule (2) as admissible at the rates in force on the date of the relinquishment of the office in the Commission:

Provided that he shall not be entitled for the city compensatory allowance of any other allowance on such leave salary.

9. **Leave sanctioning authority.**—The Chairman shall be the authority competent to sanction leave to the members. The Governor of Madhya Pradesh shall be the authority competent to sanction leave to the Chairman.

10. **Facilities for Medical Treatment.**—The Chairman and the members shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as are admissible to a member of the Indian Administrative Service of the corresponding pay levels in the Government.

11. **Pension.**—The Chairman and the Members of the Commission shall not be entitled to receive any pension and gratuity for the service rendered by them in the Commission.

12. **Provident Fund.**—The Chairman or a Member shall be entitled to subscribe to provident fund at his option, and in case of his so opting shall be governed by the provisions of the Madhya Pradesh General Provident Fund Rules, 1955.

13. **Oath by the Members.**—(1) The Chairman of the Commission shall before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and secrecy before the Governor in the form annexed to these rules.

(2) Every member of the Commission shall before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and secrecy before the Chairperson of the Commission in the form annexed to these rules.

(Form of an Oath of Office for Chairman/Member of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission)

(See Rule 13)

I, ... having been appointed as Chairman/Member of the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, do solemnly swear in the name of God solemnly affirm that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Chairman/ Member and perform the duties of my Office in accordance with law without fear or favour, affection of ill-will.

Chairman/ Member
Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, Bhopal.

Bhopal
Dated the. . 2000.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
D.R.S. CHAUDHARY, Secy.

— नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 373] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 अगस्त 2011—श्रावण 12, शक 1933

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2011

क्र. एफ. 3-20-1998-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 180 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 3 में उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) छठवे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 1 जनवरी 2006 से अध्यक्ष रुपये 80,000 (नियत) वेतन प्रतिमाह प्राप्त करेगा और सदस्य वेतन बेण्ड/वेतनमान रुपये 75,500 (3 प्रतिशत वार्षिक वेतनवृद्धि)—80,000 प्रतिमाह में वेतन प्राप्त करेंगे;

परन्तु, किसी ऐसे व्यक्ति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की दशा में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुआ है या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम या केन्द्रीय सरकार के स्वशासी निकायों, जैसे नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन लिमिटेड, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल हाइडल पॉवर कार्पोरेशन या राज्य सरकार के जैसे मध्यप्रदेश राज्य विद्युत् मंडल या उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों या समतुल्य संगठन के अधीन सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है और जो पेंशन और / या उपादान या अन्य प्रकार की सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के तौर पर कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करता है या जिसने ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त की हैं, या जो प्राप्त करने का हकदार हो गया है, तो उसके वेतन में से पेंशन की कुल रकम या अंशदायी पेंशन की कुल रकम या अंशदायी भविष्य निधि (सी.पी.एफ.) में नियोक्ता के अंशदान के समतुल्य पेंशन को घटा दिया जाएगा."

No. F 3-20-1998-XIII.—In exercise of the powers conferred by Section 180 read with sub-section (2) of Section 89 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary, Allownces and other service conditions of chairman and members) Rules, 2000, namely :—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The Chairman shall receive a pay of Rs. 80,000 (fixed) per mensem and the members shall receive a pay in the pay band/Scale of Rs. 75,000 (3 percent annual increment)—80,000 per mensem from 1st January, 2006 as per 6th Pay Commission recommendations ;

Provided that in case of an appointment as Chairman or a Member of a person who has retired as a Judge of a High Court or who has retired or taken voluntary retirement from service under the Central Government or a State Government, or public undertakings or autonomus bodies of Central Government like National Thermal Power Corporation Limited, Power Grid Corporation of India Limited, Bharat Heavy Electricals Limited, National Hydel Power Corporation or of State Governemnt like Madhya Pradesh State Electricity Board or its successor campanies or equivalent organization and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and/or gratuity or other form of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or gross amount of contributory pension or pension equivalent of Employer's contribution in Countributory Provident Fund (CPF)."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 75] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 फरवरी 2018—माघ 12, शक 1939

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2018

क्र. 832-एफ-3-20-1998-तेरह.—मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें) नियम, 2000 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 89 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, दिनांक 16 मई, 2017 को जारी वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित संकल्प क्रमांक 1-2/2016-आई सी के उपाबंध-एक के अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से प्रभावशील करते हुए, वेतन मैट्रिक्स में दिये गये वेतन बैंड के स्तर 17 (रुपए 2,25,000) में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष का वेतन तथा स्तर 16 (रुपए 2,05,400—2,24,400) में सदस्यों का वेतन विहित करती है.

No. 832-F-3-20-1998-XIII.—Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Salary, Allowance and other service conditions of the Chairman and Members) Rules, 2000, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 89 of the Electricity Act, 2003 (No. of 36 of 2003), the State Government, hereby, prescribes the pay with effect from 1st January, 2016 of the Chairman of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission in the level 17 (225000/-) and pay of Members in the level of 16 (Rs. 205400-224400) of the pay band given in the pay matrix as per Annexure-I of the Resolution No. I-2/2016-IC notified in Gazette of India dated 25th July 2016 of Ministry of Finance (Department of Expenditure) Government of India, issued on 16th May 2017.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.